<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण क्रमांक : 238/13

संस्थापन दिनांक : 29.04.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

बनाम

1—गबडू उर्फ गंधर्वसिंह पुत्र निहालसिंह जाट, उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम झांकरी थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.04.13 को 07:00 बजे या उसके लगभग बस स्टैण्ड झांकरी के पास अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 8 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच प्रतिबंधित आकार का रखी।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.04.13 को फरियादी रामिकशोर शर्मा मय आरक्षक सागरसिंह अ0सा01 के कस्बा गश्त हेतु बस स्टैण्ड झांकरी पहुंचा तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराही आरक्षक की मदद से घेरकर पकड़ा तथा आरोपी से नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम गबड़ उर्फ गंधर्वसिंह पुत्र निहाल सिंह जाट उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम झांकरी का होना बताया। तथा समक्ष गवाहन कल्लू उर्फ कमलेश अ0सा03 व निहालसिंह जाट अ0सा02 के आरोपी की तालाशी ली गयी तो आरोपी पैन्ट के कमर में दाहिनी तरफ एक छुरी लोहे की खुरसे मिला जिसकी लंबाई करीब 8 इंच चौड़ाई 2 इंच मिली आरोपी से छुरी रखने का लाइसेन्स चाहा गया तो आरोपी ने न होना बताया जिस पर से आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी रिपोर्ट पर से थाना मौ में अप0क0 56/13 पर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया

मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 20.04.13 को 07:00 बजे या उसके लगभग बस स्टैण्ड झांकरी के पास अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 8 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच प्रतिबंधित आकार का रखी ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- 5. साक्षी सागरसिंह अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 20.04.13 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह टी.आई. साहब के हमराह एल.ओ. ड्यूटी पर गोहद आया था जब वे टी.आई साहब के आदेशानुसार झांकरी के पास पहुंचे तो वहां पर एक आदमी भागने लगा तो दीवानजी रामिकशोर शर्मा ने घेरकर पकड़ा और उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गबडू उर्फ गंधर्वसिंह निवासी झांकरी का होना बताया। आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी के पेन्ट की कमर में लोहे की छुरी मिली आरोपी से छुरी रखने के संबंध में लाइसेन्स मांगा तो आरोपी ने न होना बताया और उसके सामने दीवानजी ने आरोपी को गिरफतार किया था और चाकू जप्त किया था और उसका बयान लिया था।
- ताक्षी निहालसिंह अ०सा०२ व कमलेश अ०सा०३ ने कथन किया है कि पुलिस ने उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। मात्र जप्ती पत्रक प्र०पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र०पी—2 पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। परन्तु अभियोजन के सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि पुलिस ने आरोपी गंधर्व से कोई छुरी जप्त की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी पुलिस कथन कमशः प्र०पी—3 व 4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः घटना के प्रत्यक्ष अभिकथित साक्षीगण ने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
- 7. प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी रामिकशोर की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। जप्ती के स्वतंत्र साक्षीगण निहालसिंह अ०सा०२ व कमलेश अ०सा०३ ने आरोपी से छुरी जप्त होने से इंकार किया है। साक्षी सागरसिंह अ०सा०१ ने स्वयं को प्रत्यक्ष साक्षी बताया है। लेकिन उसने कथन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि छुरी का आकार क्या था जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके कि छुरी प्रतिबंधित आकार की थी और न ही यह बताया है कि छुरी धारदार थी या नहीं। प्रतिपरीक्षण में सागरसिंह ने आरोपी को पहचानने में असमर्थता व्यक्त की है। अतः सागरसिंह के कथन पर निर्भर रहकर भी आरोपी से प्रतिबंधित आकार की छुरी जप्त होने का समाधान नहीं होता है।
- 3. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 20.04.13 को 07:00 बजे या उसके लगभग बस स्टैण्ड झांकरी के पास अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य

में एक लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 8 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच प्रतिबंधित आकार का रखी।

- 9. परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 25(1—बी)(बी) आयुध अधिनियम के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 10. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11. प्रकरण में जप्त छुरी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे व अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

ATTACHED STATE OF STA